

22 साल से नेताओं के जागने का इंतजार

मास्टर प्लान शहर के कर्णधारों की खामोशी से टंडे बस्ते में बंद

नवभारत मुहिम

कब लागू होगा नया मास्टर प्लान

विजय शर्मा

भोपाल, 2 सितंबर. शहर का व्यवस्थित विकास तभी संभव है जब जनता के नुमाइंदे जागृत अवस्था में हों. राजधानीवासियों का इस दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 22 साल में उन्होंने जिन जनप्रतिनिधियों को विकास का जिम्मा सौंपा, उनमें किसी ने भोपाल को व्यवस्थित शहर का रोडमैप लागू करवाने की जहमत नहीं उठाई. हालात यह बने कि दो दशक से शहर को नए मास्टर प्लान का इंतजार बना हुआ है. इस दौरान शहर का विस्तार दो गुना होने के साथ ही आबादी भी लगभग दोगुनी हो गई है.

जो अब सड़क, बिजली, पानी, सीवेज, औद्योगिक संस्थान, निजी व शासकीय व्यावसायिक क्षेत्र और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है. इन 22 सालों में शहर के विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले दिवंगत नेता बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री भी रहे. वे नगरीय प्रशासन मंत्री भी रहे. वहीं उमाशंकर गुप्ता गुग मंत्री और महापौर रहे. कांग्रेस के पीसी शर्मा मंत्री रहे. इनके अलावा अन्य सांसदों और विधायकों ने भी शहर के मास्टर प्लान को लेकर कभी ठोस प्रयास नहीं किये. जिम्मेदारों के इस उदासीन रवैए और स्वार्थ की राजनीति से तंग आकर जनता ने अंततः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. साथ ही सड़कों पर भी उतर आई. हालांकि स्वस्फूर्त जनप्रयासों के बावजूद अभी लोगों को नेताओं के जागने का इंतजार बना हुआ है. जाहिर है, जब तक स्वयं को जनहितैषी बताने वाले शहर के ये कर्णधार नहीं चाहेंगे, तब तक मास्टर प्लान डंडे बस्ते से बाहर नहीं आएगा.



मसौदे कई बने, अमल किसी पर नहीं

भोपाल में 1995 में लागू मास्टर प्लान की अवधि 2005 में समाप्त होने के मद्देनजर नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद शुरू हुई. इसका मसौदा 2009 में तैयार किया गया, जो वर्ष 2031 तक के लिए था. वर्ष 2020 में फिर नया मसौदा तैयार किया गया, जो शासन स्तर पर लंबित है. अब 2047 के लिए नए सिरे से मास्टर प्लान के लिए सर्वे की प्रक्रिया की बात चल रही है.

इच्छाशक्ति हो तो सितंबर में ही बाहर आ जाए मसौदा

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर नए मास्टर प्लान को लेकर फिर मंथन शुरू हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा और सुझाव लेने के बाद सितंबर में ड्राफ्ट सार्वजनिक किए जाने की संभावना है. हालांकि सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं, पहली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना. दूसरी और व्यावसायिक गतिविधियों और शहर के विस्तार को व्यवस्थित करना. 22 वर्षों से मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण कई इलाकों में पुराने प्राधानों के आधार पर शहर का विकास होता रहा है. ऐसे में नए मास्टर प्लान से भूमि उपयोग को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. यह उम्मीद तभी फलीभूत होगी जब सरकार के कथित मंथन से मसौदा जनता के सामने आएगा. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों की मानें तो उन्हें भी सिर्फ सरकार के निर्देश का इंतजार है. संभव है कि सरकार जल्द निर्णय ले लेती है तो सितंबर में ही ड्राफ्ट सामने आ सकता है.

अब मांग करने वाले भी कभी थे खुद जिम्मेदार

देरी के लिए शासन-प्रशासन जिम्मेदार

मास्टर प्लान में देरी और शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर शासन-प्रशासन जिम्मेदार है. यदि सरकार को भोपाल के विकास की वास्तव में चिंता होती, तो मास्टर प्लान अब तक लागू हो चुका होता. नेता और अधिकारी मिलकर चाहें, तो शहर में कोई भी निर्माण रुक सकता है. आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां और दुकानें अधिकारियों की नजरों के सामने बन रही हैं. नगर निगम को अवैध निर्माण जैसे कार्यों पर निगरानी और निरीक्षण करना होता है, उसके बावजूद निर्माण कैसे हो जाते हैं, यह बड़ा सवाल है. इसके लिए आम जनता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए व्यवसाय करते हैं. कांग्रेस सरकार ने मास्टर प्लान लाने के प्रयास किए थे. भोपाल के विकास के लिए स्पष्ट सोच और इच्छाशक्ति की जरूरत है.

-जितेंद्र ढागा, पूर्व विधायक

मिलकर काम करने की जरूरत

शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान का जल्द लागू होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई जगह अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल, आवासीय और अन्य सुविधाएं किस स्थान पर विकसित होंगी. मास्टर प्लान के लागू होने से शहर के विकास की दिशा तय होगी. इसके लिए नगर निगम और अन्य विकास एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए.

-विभा पटेल, पूर्व महापौर

सरकार के फैसले का इंतजार

मास्टर प्लान फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन है और इस पर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है. फिलहाल कोई बड़ी अड़चन नजर नहीं आती और सरकार जल्द इसे मूर्त रूप दे सकती है. भोपाल तेजी से विस्तार कर रहा है. शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं. कई बार विकसित क्षेत्रों को भी अवैध कॉलोनी घोषित किए जाने से लोगों के समक्ष समस्याएं खड़ी होती हैं. बढ़ती आबादी और आवासीय जरूरतों के बीच विकास कार्यों में भी बाधाएं सामने आती हैं. आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामलों तथा सड़क जैसी समस्याओं का समाधान भी मास्टर प्लान से संभव होगा.

-आलोक संजय, पूर्व सांसद

खाका तैयार, लागू नहीं कर सके

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भोपाल के मास्टर प्लान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी. तत्कालीन मंत्री जयवर्धन सिंह के कार्यकाल में मिंटो हॉल में बैठक की गई, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विशेषज्ञों, बिल्डर्स, व्यापारियों और आम लोगों के सुझाव लिए गए थे. सभी पक्षों की राय ली गई थी, ड्राफ्ट भी मंजूर हो गया था. जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा पूरी हो चुकी थी. सरकार एक महीने और रहती, तो मास्टर प्लान लागू हो जाता. मास्टर प्लान लागू होने से लैंड यूज और मिक्स लैंड यूज जैसी व्यवस्थाएं स्पष्ट होतीं और शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से होता.

-पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री

सप्लीमेंट्री मास्टर प्लान लाए

शहर के मास्टर प्लान को 31 साल हो चुके हैं. इतने लंबे समय में शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है. पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान मास्टर प्लान लाने का प्रयास हुआ, लेकिन वह लागू नहीं हुआ. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी मास्टर प्लान लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें तालाब के आसपास निर्माण सहित कई विसंगतियों को लेकर आपत्तियां सामने आईं और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्टेट कैपिटल रीजन की व्यापक योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें मंडीदीप और रायसेन सहित आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने की सोच है.

-ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व विधायक

3 दिन में ही सीलिंग की निकली हवा सुको के आदेश की नाफरमानी से बचने सिर्फ खानापूर्ति



नवभारत संवाददाता

भोपाल, 2 सितंबर. राजधानी में आवासीय कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने के नगर निगम के एक्शन की हवा तीसरे दिन ही निकल गई. बुधवार को शहर के रचना नगर, गौतम नगर, अरेरा कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, अमराई आदि क्षेत्रों में महज 20 दुकानों को ही सील किया गया.

जबकि यह सभी रहवासी क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों के चलते सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की सूची में शामिल हैं. इससे पहले निगम अमले ने सोमवार और मंगलवार को 170 प्रतिष्ठानों को बंद कराया था.



नवभारत संवाददाता

भोपाल, 2 सितंबर. राजधानी में आवासीय कॉलोनियों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने के नगर निगम के एक्शन की हवा तीसरे दिन ही निकल गई. बुधवार को शहर के रचना नगर, गौतम नगर, अरेरा कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, अमराई आदि क्षेत्रों में महज 20 दुकानों को ही सील किया गया.

जबकि यह सभी रहवासी क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों के चलते सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की सूची में शामिल हैं. इससे पहले निगम अमले ने सोमवार और मंगलवार को 170 प्रतिष्ठानों को बंद कराया था.



बाजार बंद रहे, कोलार में व्यापारियों ने अर्थी निकाली

नवभारत संवाददाता

भोपाल. शहर में निगम के द्वारा की जा रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में बुधवार को कोलार क्षेत्र में बाजार बंद रहे. इसकी घोषणा व्यापारी महासंघ ने एक दिन पहले ही कर दी थी. व्यापारियों ने दोपहर में व्यापार की अर्थी सजाकर प्रदर्शन किया. महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई गलत है. बाजार बंद के समर्थन में डी-मार्ट और शराब की दुकानें भी बंद रखी गई हैं. कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक अधिकतर प्रतिष्ठान बंद रहे. इमरजेंसी सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप को बंद से छूट दी गई है. व्यापारियों के इस विरोध के बाद मंत्री कृष्ण गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुलाकात की. व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सीलिंग की कार्रवाई वापस लेने की मांग की. व्यापारियों ने सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से व्यापार की अर्थी निकाल नारेबाजी भी की. इसी दौरान व्यापारियों ने प्रशासन से सीलिंग से प्रभावित दुकानदारों को राहत देने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे.

नर्सिंग काउंसिल के बाहर धरना जारी

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 सितंबर. मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल के बाहर एनएसओ छात्र संगठन का धरना 25वें दिन भी जारी रहा. संगठन के अनुसार, मांगों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने के कारण छात्राओं ने भी रात में धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराया. छात्रों ने पुराने सत्रों के लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने, आगामी परीक्षाएं कराने और नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की.

संगठन के संस्थापक गोपाल पाराशर ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के सत्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा, परिणाम और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का अब तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है.

बैंक खातों से निकले 21 लाख 50 हजार

भोपाल. अशोक गार्डन इलाके में एक 61 साल की बुजुर्ग महिला के बैंक खातों से 21 लाख 50 हजार रुपए साइबर ठग ने निकाल लिए. बुधवार को महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सम्राट कॉलोनी में रहने वाली गीता चौरसिया ने पुलिस को बताया है कि सांची में दो बैंकों में उनका खाता है. 7 मई से 24 जुलाई के बीच यूपीआई के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके एक खाते से 9 लाख लाख रुपये और दूसरे खाते 12 लाख पचास हजार रुपये की धोखाधड़ी कर दी. हाल ही में बुजुर्ग गीता ने जब अपने बैंक खातों की जानकारी ली तो उन्हें खाते से निकले रुपए की जानकारी मिली.

इंजीनियर से ठगे 12 लाख

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 सितंबर. बाग सेवनिया और अवधपुरी थाने में साइबर ठगी के दो केस दर्ज कराए गए. पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.

गुलाबी नगर निवासी सत्येंद्र करोसिया ने बागसेवनिया थाने में 12 लाख की ठगी का प्रकरण दर्ज कराया. सत्येंद्र ने पुलिस को बताया कि वह एक आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं. एक टेलीग्राम ग्रुप में उन्हें कुछ समय पहले जोड़ा गया. यहाँ सत्येन्द्र को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दी गई. बताया गया कि अगर वह इसमें निवेश करेंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा. इसी लालच में आकर सत्येंद्र ने कई बार की क्रिस्तों के माध्यम से करीब 12 लाख रुपए का निवेश किया. हाल ही में जब इंजीनियर सत्येंद्र ने लाभ के रुपए को लेकर संबंधितों से बात की तो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया. इसके अलावा अवधपुरी थाने में अनुपम नगर निवासी दिनेश राय (46) ने शिकायत की है कि 29 अगस्त को वह नगर निगम के ऑफिस में प्रापटी टेक्स भरने गए थे. वहां उन्होंने ऑनलाइन पैमेन्ट किया. बाद में उन्हें पता चला कि उनका पैमेंट हुआ ही नहीं और उनके बैंक खाते से 54 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है.

40 साल के व्यक्ति ने 6वीं मंजिल से छलांग लगाई, मौत

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 सितंबर. बिलखिरिया इलाके में एक 40 साल के व्यक्ति ने छठवीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

लखन जाटव ट्रांसपोर्ट नगर में रहता था और मजदूरी करता था.

नाबालिग और युवक ने लगाई फांसी

अशोक गार्डन और अरेरा हिल्स इलाके में नाबालिग और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जनकारी के मुताबिक 20 साल का शौकांत पटेल केलाश नगर में अपने परिजनों के साथ रहता था. वह फनीवर बनाने का काम करता था. अपने घर के कमरे में जाकर केलाश ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. उधर अरेरा हिल्स में 16 साल के नाबालिग आदिल ने आत्महत्या कर ली.

जिंदगी से खिलवाड़ ▶ मारुति अस्पताल में बीएएमएस डॉक्टर और इंटर्न करते मिले इलाज

आयुष्मान के आईसीयू में 'जुगाड़' के डॉक्टर

23 मरीज पोर्टल पर, मौके पर मिले 11

नवभारत न्यूज

भोपाल, 2 सितंबर. आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर मारुति मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच का दायरा अस्पताल में मरीजों के इलाज और डॉक्टरों की भूमिका तक पहुंच गया है.

आयुष्मान भारत निरामयम् की टीम की जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल को आईसीयू में बीएएमएस डॉक्टर डॉ. हेमंत सेन और इंटर्नशिप कर रहे निशांत महावत मरीजों का उपचार करते पाए गए, एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था. वहीं, टीएमएस पोर्टल पर 23 मरीज भर्ती प्रदर्शित हो रहे थे, जबकि अस्पताल में केवल 11 मरीज ही मिले. इतना ही नहीं, मरीज दीपक धनक और सूरज बाई को 23 अगस्त को

सामान्य मरीजों को आईसीयू में रखा

निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक कौशल्या पाल और हरिचरण के वाइटल पैरामीटर सामान्य होने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से आईसीयू में भर्ती रखा गया. वहीं मेहरबान ठाकुर के उपचार रिकॉर्ड में मेरोपेनेम जैसी महंगी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल का उल्लेख मिला, जिसकी आवश्यकता उल्लेख चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हुई.

डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी उनके नाम पर टीएमएस पोर्टल पर उपचार का एन्हांसमेंट किया जाना पाया गया. निरीक्षण के दौरान संबंधित डॉक्टर भी अस्पताल में मौजूद नहीं मिले. मरीज सूरज बाई के नाम पर

अनुपस्थित डॉक्टर के नाम से हस्ताक्षर

निरीक्षण में मरीज विद्या, दीपक धनक और रजत पवार के डिस्चार्ज डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं पाए गए. रिपोर्ट के अनुसार डॉ. मुस्कान रघुवंशी निरीक्षण के समय अवकाश पर थीं, इसके बावजूद उसी अवधि में अन्य मरीजों के डिस्चार्ज दस्तावेजों पर उनके नाम से हस्ताक्षर पाए गए. आशंका है कि डॉ. मुस्कान के नाम से अस्पताल मरीजों को गुमराह कर रखा था.

मृत्यु के बाद टीएमएस पोर्टल पर इमरजेंसी रूम पैकेज का एन्हांसमेंट किया गया. पुलिस रायसेन रोड स्थित मारुति हॉस्पिटल के संचालक भवानी रघुवंशी की तलाश में जुटी है.

बता दें, बुधवार को पुलिस ने मारुति अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अस्पताल को आयुष्मान योजना से भी हटा दिया गया है.